

प्रेषक :-

सुनील अग्रवाल, (भा.व.से.)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) एवं
नोडल अधिकारी वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
मध्यप्रदेश, भोपाल।

प्रति,

उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय),
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिम क्षेत्र केन्द्रीय पर्यावरण भवन,
लिंक रोड नं. 3, ई-5, रविशंकर नगर, मध्यप्रदेश, भोपाल।

विषय:- बड़वानी जिले के सेंधवा वनमण्डल अन्तर्गत NDB-II योजनांतर्गत सेंधवा-वरला
मुख्य जिला मार्ग (एम.पी.-एम.डी.आर.-48-22) मार्ग उन्नयन हेतु 5.518 हेक्टेयर
वनभूमि लोक निर्माण विभाग, बड़वानी को उपयोग पर देने बाबत।

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक/6-MPC 070/2021-BHO दिनांक 04.01.2022

-----0-----

कृपया उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा
आपने विषयांकित प्रकरण की प्रथम चरण सैद्धांतिक सशर्त स्वीकृति प्रदान की गई थी।
स्वीकृति पत्र में उल्लेखित शर्तों का पालन प्रतिवेदन निम्नानुसार है:-

शर्त-A

- 1- शर्त क्रमांक A(1) के पालन में आवेदक संस्थान ने वर्तमान मजदूरी दर से वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना की कुल लागत राशि रु0 6824896/- यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, नई दिल्ली में ऑनलाईन दिनांक 21.01.2022 को जमा की जा चुकी है।
- 2- शर्त क्रमांक A(2) के पालन में प्रकरण में आवेदक संस्थान द्वारा बड़वानी जिले की तहसील वरला के ग्राम धामनिया के खसरा क्रमांक 40/1/1 में से 6.00 हेक्टेयर गैर वनभूमि वन विभाग के नाम हस्तांतरित/नामान्तरित कर दी गई है। कलेक्टर बड़वानी का आदेश दिनांक 16.09.2021, फार्म पी-2, कब्जा रसीद आदि की छायाप्रति संलग्न है।
- 3- शर्त क्रमांक A(3) के पालन में प्रकरण में प्राप्त गैर वन भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के तहत संरक्षित वन बनाये जाने की कार्यवाही प्रचलित है। अधिसूचना जारी होने पर पृथक से आपको प्रेषित की जावेगी।
- 4- शर्त क्रमांक A(4) के पालन में प्रकरण में आवेदक संस्थान द्वारा नेट प्रजेन्ट वैल्यू की राशि रु0 5285030/- यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, नई दिल्ली में ऑनलाईन दिनांक 21.01.2022 को जमा की जा चुकी है।
- 5- शर्त क्रमांक A(5) के पालन में प्रकरण में प्राप्त वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना की राशि एवं नेट प्रजेन्ट वैल्यू की राशि एड-हॉक कैम्पा के अन्तर्गत यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, नई दिल्ली में ऑनलाईन दिनांक 21.01.2022 को जमा की जा चुकी है।

6- शर्त क्रमांक A(6) के पालन में आवेदक संस्थान द्वारा वनाधिकार अधिनियम के तहत कलेक्टर बड़वानी का प्रमाण पत्र दिनांक 01.09.2021 प्रस्तुत किया गया है, जिसकी छायाप्रति संलग्न प्रेषित है।

7- शर्त क्रमांक A(6) के पालन में ई-ग्रीन वॉच पोर्टल पर वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना की KML file अपलोड कर दी गई है, जिसका ID No. 46329 है।

8- शर्त क्रमांक A(8) के पालन में आवेदक संस्थान सहमत है।

9- शर्त क्रमांक A(9) के पालन में आवेदक संस्थान द्वारा प्रथम चरण स्वीकृति में उपरोक्त उल्लेखित अधिरोपित समस्त शर्तों का पालन प्रतिवेदन वेबपोर्टल पर अपलोड किया गया है।

शर्त-B

1- शर्त क्रमांक B 1 एवं 2 के पालन में आवेदक संस्थान सहमत है।

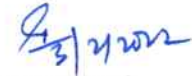
2- शर्त क्रमांक B(3) के पालन में आवेदक संस्थान द्वारा अतिरिक्त एन0पी0व्ही0 का वचन पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसकी छायाप्रति संलग्न प्रेषित है।

3- शर्त क्रमांक B 4 से 14 के पालन में आवेदक संस्थान सहमत है।

अतः उपरोक्तानुसार प्रथम चरण सैद्धांतिक स्वीकृति में उल्लेखित समस्त शर्तों का पालन पूर्ण हो गया है। कृपया प्रकरण की अंतिम औपचारिक स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।

भवदीय



(सुनील अग्रवाल)

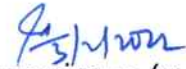
भोपाल, दिनांक 3/2/22

पृ. क्रमांक/एफ-5/1082/2021/10-11/453

प्रतिलिपि:-

1. मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय), खण्डवा वृत्त, खण्डवा, मध्यप्रदेश।
2. वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वन मण्डल, सेंधवा, मध्यप्रदेश।
3. कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, (B&R) संभाग बड़वानी, मध्यप्रदेश।

की ओर सूचनार्थ प्रेषित।



प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल